



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062025-263755
CG-DL-E-12062025-263755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2499]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2025/ज्येष्ठ 22, 1947

No. 2499]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2025/JYAISTHA 22, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2025

का.आ. 2563(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 579 (अ) तारीख 30.01.2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 575 तारीख 31.01.2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा असम राज्य में पारादीप – नुमालीगढ़ कच्चे तेल पाइपलाइन के मध्यम से कच्चे तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बरपेटा	बरनगर	दमका छका बौसी	नुनतोला	118	00	04	11
				124	00	01	08
				123	00	00	60
				122	00	01	02
				157	00	04	60
				146	00	01	00
				145	00	08	72
				144	00	01	35
				138	00	01	39
बरपेटा	बरनगर	दमका छका बौसी	बांदरखोवा भाग-2	58	00	03	55
				62	00	01	47
				98	00	05	52
				97	00	08	08
				104	00	00	64
				96	00	07	97
				95	00	05	81
				94	00	16	35
				111	00	01	02
कामरूप	कमलपुर	पुब पर	कमलपुर	103	00	00	30
				104	00	00	72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मजुली	कमलाबारी	कमलाबारी	पोहुमरा ताति गाँव	693	00	07	85
बिस्वानाथ	गोहपुर	गोहपुर	ककीला पथार	190	00	09	17
बिस्वानाथ	गोहपुर	गोहपुर	बालिटिका	521	00	11	81
बिस्वानाथ	हेलेम	ब्रह्मजन	अरिभंगा पथार	419	00	02	01
				480	00	11	51
				454	00	14	72
बिस्वानाथ	हेलेम	ब्रह्मजन	मुकुली गाँव	351	00	02	81
				352	00	10	43
				326	00	00	94
				363	00	02	41
				354	00	08	43
				353	00	13	38
				313	00	11	10
				335	00	09	36
बिस्वानाथ	हेलेम	ब्रह्मजन	लेपेटापारा	447	00	04	15
				448	00	03	21
बिस्वानाथ	हेलेम	ब्रह्मजन	घाही गाँव	494	00	01	20
				496	00	07	09
बिस्वानाथ	हेलेम	ब्रह्मजन	गरोईमारी	379	00	08	83
बिस्वानाथ	हेलेम	ब्रह्मजन	बरानी पथार	169	00	06	29
				168	00	06	29
बिस्वानाथ	बिस्वानाथ	बाघमरा	मोनाबारी चाह बगीचा 317/516	741	00	02	94
बिस्वानाथ	बिस्वानाथ	बाघमरा	बलदंगा	633	00	16	00
				660	00	05	57
बिस्वानाथ	नदुवार	शक्तिया	गेरेकी ग्रांट	1121	00	00	90
				1085	00	04	64
				1104	00	01	61
				1110	00	02	52
				1106	00	07	15

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2025

S.O. 2563(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 579(E) dated 30.01.2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India No. 575 dated 31.01.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of crude oil through Paradip – Numaligarh crude oil pipeline in the state of Assam by Numaligarh Refinery Limited (NRL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Numaligarh Refinery Limited (NRL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
					Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Barpeta	Bar Nagar	Damka Chaka Bausi	Nuntola	118	00	04	11
				124	00	01	08
				123	00	00	60
				122	00	01	02
				157	00	04	60
				146	00	01	00
				145	00	08	72
				144	00	01	35
				138	00	01	39
Barpeta	Bar Nagar	Damka Chaka Bausi	Bandarkhowa Pt-2	58	00	03	55
				62	00	01	47
				98	00	05	52
				97	00	08	08
				104	00	00	64
				96	00	07	97
				95	00	05	81
				94	00	16	35
				111	00	01	02
Kamrup	Kamalpur	Pub Par	Kamalpur	103	00	00	30
				104	00	00	72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Majuli	Kamlabari	Kamlabari	Pahumara Tati Gaon	693	00	07	85
Biswanath	Gohpur	Gohpur	Kakila Pathar	190	00	09	17
Biswanath	Gohpur	Gohpur	Balitika	521	00	11	81
Biswanath	Helem	Brahmajan	Aribhanga Pathar	419	00	02	01
				480	00	11	51
				454	00	14	72
Biswanath	Helem	Brahmajan	Mukuli Gaon	351	00	02	81
				352	00	10	43
				326	00	00	94
				363	00	02	41
				354	00	08	43
				353	00	13	38
				313	00	11	10
				335	00	09	36
Biswanath	Helem	Brahmajan	Lepetapara	447	00	04	15
				448	00	03	21
Biswanath	Helem	Brahmajan	Ghahi Gaon	494	00	01	20
				496	00	07	09
Biswanath	Helem	Brahmajan	Garoimari	379	00	08	83
Biswanath	Helem	Brahmajan	Barani Pathar	169	00	06	29
				168	00	06	29
Biswanath	Biswanath	Baghmara	Monabari Chah Bagicha 317/516	741	00	02	94
Biswanath	Biswanath	Baghmara	Baldanga	633	00	16	00
				660	00	05	57
Biswanath	Naduar	Shatiya	Gereki Grant	1121	00	00	90
				1085	00	04	64
				1104	00	01	61
				1110	00	02	52
				1106	00	07	15

[F. No. R-11025(14)/1/2020-OR-I-Part(1)/E-48803]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.